उत्तरखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका संख्या 55/ 2011(एस/बी)

कांति प्रसाद दादपुरी और 3 अन्य .....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रतिवादीगण

दिनांक:20 जून, 2012

**कोरमः**
**माननीय तरुण अग्रवाल, न्यायमूर्ति**
**माननीय बी. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति**
**माननीय सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति**

**माननीय तरुण अग्रवाल, न्यायमूर्ति . (प्रति)**

1. रिट याचिका संख्या 1155/2008 (एस/एस) सुरेश चंद शर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य 2009 (2) उत्तरांचल निर्णय 241 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 13/07/2009 के फैसले में कहा कि कार्यवाहक प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत याचिकाकर्ता को उस तिथि से प्रिंसिपल के पद का वेतन भुगतान किया जाना चाहिए जब से उसने कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला था।इस फैसले के विरुद्ध , उत्तराखंड राज्य और अन्य द्वारा विशेष अपील संख्या 45/2010 दायर की गई थी।खण्ड पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 15.04.2010 द्वारा अपील को खारिज कर दिया और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि की।अपील को खारिज करते हुए, खण्ड पीठ ने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) के तहत बनाए गए विनियमन के अध्याय II के नियम 2 (3) पर विचार किया।

2. वर्तमान रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए एक खण्ड पीठ ने 15 अप्रैल, 2010 के निर्णय की शुद्धता पर संदेह जताया और तर्क दिया कि विनियमों के अध्याय II के विनियम 2 (1) पर विचार नहीं किया गया था।तदनुसार, रिट याचिका पूर्ण पीठ के समक्ष रखी गई और इस तरह, यह याचिका इस पूर्ण पीठ के समक्ष आई है।

3. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर एक परमादेश रिट की मांग की है, जिसमें उत्तरदाताओं को याचिकर्ताओं को प्रधानाचार्य के पद का वेतन उस तारीख से देने की विनती की गयी है जब से उन्होंने कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार संभाला था।

4. रिट याचिका दायर करने के लिए तथ्य यह है कि एक व्यक्ति मोहन सिंह भंडारी 05.12.2006 पर कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षणिक सत्र के अंत तक यानी 31 मार्च, 2007 तक इंटर कॉलेज देवीखाल बाग्यांसु, जिला पौड़ी गढ़वाल में काम करते रहे।प्रबंधन समिति ने 04 मार्च, 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मोहन सिंह भंडारी की सेवानिवृत्ति पर याचिकाकर्ता नंबर 1 को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई। चूंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 संस्थान में सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता था। उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में, प्रबंधक ने 31 मार्च, 2007 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता नंबर 1 को 01.04.2007.से संस्था के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नं.1 ने 01.04.2007 पर कार्यभार संभाला और अधिकारियों द्वारा उनके हस्ताक्षरों का विधिवत सत्यापन किया गया।कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में उनकी नियुक्ति को बाद में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई।याचिकाकर्ता नं.1 कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्य करते हुए सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुँचने पर सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

5. नरेंद्र सिंह रावत 04.04.2005 को सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षणिक सत्र के अंत तक, यानी 30 जून, 2005 तक इंटर कॉलेज, गढ़घोट मधु, जिला पौडी गढ़वाल में काम करते रहे। प्रबंधन समिति ने याचिकाकर्ता संख्या 2 को कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 2 ने 01 जुलाई, 2005 को कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला।कागजात को आवश्यक अनुमोदन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को भेजा गया था, जिसे जिला शिक्षा अधिकारी ने एक आदेश दिनांक 29.12.2005 द्वारा मंज़ूर किया था । याचिकाकर्ता संख्या 2 अभी भी संस्था में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यरत है।

6. माही पाल सिंह असवाल 08.05.2005 को इंटर कॉलेज रामदांग, जिला पौडी गढ़वाल के प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन शैक्षणिक सत्र के अंत तक, यानी 30 जून, 2005 तक काम करते रहे। प्रबंधन समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें याचिकाकर्ता संख्या 3 को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की गई क्योंकि वह संस्थान में सबसे वरिष्ठ प्रवक्ता थे। याचिकाकर्ता संख्या 3 ने 01 जुलाई, 2005 को कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यभार संभाला और उनकी नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी ने 29.12.2005 के एक आदेश द्वारा अनुमोदित किया था।

7. इसी प्रकार, याचिकाकर्ता संख्या 4 को 15.04.2005 को चेत सिंह नेगी के सेवानिवृत्त होने पर 01 जुलाई, 2005 को जनता इंटर कॉलेज, बुधोली, पौडी गढ़वाल में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार सौंपा गया था, जो 30 जून, 2005 तक कार्यरत रहे। .याचिकाकर्ता संख्या 4 की नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 29.12.2005 के आदेश द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था।

8. जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 29.12.2005 के एक आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 2 की नियुक्ति की मंजूरी को रिकॉर्ड पर लाया गया है, जो इंगित करता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 को संस्था के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में इस शर्त के अधीन नियुक्त किया गया था कि प्रिंसिपल के पद पर रिक्ति निर्धारित अवधि के भीतर विनियम 10 सपठित अध्याय ॥ विनियम 2 (1) के तहत दिए गए प्रावधान के

अनुसार भरी जाएगी, ऐसा न करने पर पद को विनियमों के अध्याय ॥ विनियम 20 के तहत सरेंडर किया गया माना जाएगा। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अन्य याचिकाकर्ताओं को भी इसी तरह के अनुमोदन पत्र जारी किए गए थे।

9. याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में पदोन्नत होने के बाद वे उस पद पर उपार्जित लाभों के हकदार हैं और परिणामस्वरूप वे प्राचार्य के पद के वेतन का भुगतान करने के हकदार हैं।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को केवल प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया है और अधिनियम के तहत या उसमें बनाए गए विनियमों के तहत किसी संस्थान के प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रिंसिपल के पद का वेतन देने का कोई प्रावधान नहीं है।उत्तरदाताओं ने आगे तर्क दिया किकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक स्पष्ट शर्त के साथ मंजूरी दी गई थी कि रिक्ति को अधिनियम के प्रावधानों और उसमें बनाए गए विनियमों के अनुसार भरा जाना आवश्यक था और यह प्रबंधन समिति का बाध्य कर्तव्य था कि वह निर्धारित अवधि के भीतर प्राचार्य के पद को भरने के लिए कदम उठाए।यह तर्क दिया गया कि चूंकि पद प्रबंधन समिति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा गया था, इसलिए पद राज्य को सौंप दिया गया था और परिणामस्वरूप, राज्य के प्रतिवादी याचिकाकर्ताओं को प्रिंसिपल के पद का वेतन देने के लिए बाध्य नहीं थे।

11. प्रत्युत्तर में, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्य सरकार ने प्रिंसिपल के पद को भरने के लिए प्रबंधन समिति को रोकने के लिए एक प्रतिबंध आदेश जारी किया है और तदनुसार राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं को प्राचार्य के पद के वेतन से वंचित नहीं कर सकती है।

12. प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा उठाए गए विवाद के आलोक में, अदालत ने श्री परेश त्रिपाठी विद्वान अधिवक्ता को सुना, जो श्री सी.के. शर्मा और सुश्री पूजा बंगा की ओर से सहायता प्राप्त हैं. और याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता, श्री बी. डी. उपाध्याय, राज्य प्रतिवादी संख्या 1, 2 और 3 के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 4 से 7 के अधिवक्ता श्री राजेंद्र डोभाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ,जो श्री डी. सी. एस. रावत, द्वारा सहायता प्राप्त हैं, को सुना ।

13. पक्षों के प्रतिद्वंद्वी विवाद पर विचार करने से पहले, विभिन्न अधिनियमों के कुछ प्रावधानों का उल्लेख करना उचित होगा। इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 की धारा 15 के अनुसरण में बोर्ड ने उक्त अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विनियम बनाए। विनियमों के अध्याय ॥ विनियमन 2 (1) में प्रावधान है कि संस्था के प्रमुख का पद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा।नियम इंगित करता है कि जहां किसी पदधारी को छह महीने से अधिक की अवधि के लिए छुट्टी देकर या मृत्यु या सेवानिवृत्ति या निलंबन द्वारा एक अस्थायी रिक्ति बनाई जाती है, तो संस्थान के प्रमुख के उक्त पद को वरिष्ठतम योग्य शिक्षक से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा।विनियमों के नियम 2 (3) में प्रावधान है कि जहां संस्था के प्रमुख के पद पर एक अस्थायी रिक्ति बनाई गई है जो 30 दिनों से अधिक नहीं है, उस स्थिति में, उच्च ग्रेड में सबसे वरिष्ठ शिक्षक को काम करने की अनुमति दी जा सकती है। संस्था के कार्यवाहक प्रमुख

और उक्त शिक्षक प्रधानाचार्य पद के वेतन के हकदार नहीं होंगे। विनियमों के नियम 2 (4) में प्रावधान है कि जहां ऐसी पदोन्नति की जाती है, प्रबंधन समिति के प्रस्ताव की एक प्रति परिशिष्ट-बी में निर्धारित विवरणों और प्रारूप के साथ प्रबंधक द्वारा शैक्षणिक प्राधिकरण को भेजी जाएगी।सुविधा के लिए, विनियमों के अध्याय ॥ के विनियम 2 (1), 2 (3) और 2 (4) को नीचे निकाला गया हैः

> "2 (1) संस्था के प्रमुख का पद, खंड (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, धारा 16-एफ की उपधारा (1) के तहत गठित चयन समिति के संदर्भ के बाद सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा या, जैसा भी मामला हो, हो सकता है, धारा 16-एफएफ की उप-धारा (1) के तहत: बशर्ते कि धारा 16-एफएफ में निर्दिष्ट किसी भी संस्थान के मामले में एक पदधारी को एक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण होने वाली अस्थायी रिक्ति किसी शैक्षणिक सत्र के दौरान छह महीने से अधिक या मृत्यु, सेवानिवृत्ति या निलंबन के कारण संस्थान के प्रमुख का पद संस्थान में उच्चतम ग्रेड में वरिष्ठतम योग्य शिक्षक, यदि कोई हो, की पदोन्नति से भरा जाएगा।
>
> (3) जहां संस्थान के प्रमुख के पद में अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक की अवधि के लिए नहीं है, वहां उच्चतम श्रेणी में सबसे वरिष्ठ शिक्षक को संस्थान के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन वह उस वेतनमान से अधिक वेतन पाने का हकदार नहीं होगा जिसमें वह ऐसे शिक्षक के रूप में वेतन प्राप्त कर रहा है।
>
> (4) ऐसे सभी मामलों में जिनमें इस विनियमन के तहत पदोन्नति की जाती है, प्रबंधन समिति के संकल्प की एक प्रति परिशिष्ट 'बी' में निर्धारित प्रोफार्मा में विवरण के साथ प्रबंधक द्वारा तुरंत निरीक्षक के साथ-साथ क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को भी भेजी जाएगी "।

14. संस्था के प्रमुख के रिक्त पद को सीधी भर्ती से भरने की प्रक्रिया विनियम के अध्याय ॥ के विनियम 10 के अंतर्गत प्रदान की गई है। प्रक्रिया यह है कि रिक्ति का निर्धारण किया जाना आवश्यक है, पद विज्ञापित किया जाना आवश्यक है। प्रबंधक द्वारा कम से कम दो समाचार पत्रों में, जिन समाचार पत्रों को शैक्षिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त आवेदनों को संसाधित किया जाना चाहिए और प्रबंधन समिति को भेजा जाना चाहिए।एक चयन समिति का गठन किया जाता है और उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है और उसके बाद, चयन समिति सिफारिशें करती है जिसके आधार पर नियुक्ति की जाती है।

15. विनियमों के अध्याय ॥ के नियम 20 में विचार किया गया है कि जहां प्रबंधन समिति किसी भी स्वीकृत पद का विज्ञापन करने में विफल रहती है,जो रिक्ति होने की तारीख से तीन महीने के भीतर विनियमों के अनुसार रिक्त हो गया है, ऐसे पद को अभ्यर्पित माना जाएगा और तब तक नहीं भरा जाएगा जब तक इसके निर्माण को प्राधिकरण द्वारा नए सिरे से मंजूरी नहीं दी जाती।

16. विनियम के अध्याय III के नियम 21 में प्रावधान है कि प्रिंसिपल 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा। यदि प्रधानाचार्य 02 जुलाई से 30 जून के बीच किसी भी तारीख को सेवानिवृत्त होते हैं और यदि वह सेवा विस्तार के लिए आवेदन करते हैं, तो सेवाओं को 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। इसका मतलब है कि मध्य सत्र में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति को शैक्षणिक समाप्ति तक काम करने की अनुमति है।विनियम के भाग-2 (बी) अध्याय (I) विनियमन 15 के तहत, शैक्षणिक वर्ष को 01 जुलाई से 30 जून तक परिभाषित किया गया है जिसे अब 01 अप्रैल से 31 मार्च तक संशोधित किया गया है।

17. उपरोक्त विनियमों के आलोक में, यह स्पष्ट है कि प्रबंधन समिति को संस्था के प्रमुख की रिक्ति को सीधी भर्ती द्वारा भरने का कठिन कार्य सौंपा गया था। प्रबंधन समिति को रिक्ति होने की तारीख से तीन महीने के भीतर विज्ञापन देने और शैक्षिक अधिकारियों से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद रिक्ति को भरने के लिए विनियमों के प्रावधानों के अनुसार कदम उठाने की आवश्यकता थी, ऐसा न करने पर, ऐसा न करने पर, प्रश्नगत पद को सरेंडर कर दिया गया माना जाएगा।हालाँकि, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियाँ करने की यह शक्ति यू.पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम, 1982 (*इसके बाद 1982 के अधिनियम के रूप में संदर्भित*) लागू होने पर प्रबंधन समिति से छीन ली गई थी। जिसके तहत अधिनियम की धारा 18 के तहत संस्था के प्रमुख के पद पर नियुक्ति करने की शक्ति चयन बोर्ड को दी गई थी।

18. 09 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद, उक्त अधिनियम यूपी पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड में लागू रहा। हालाँकि, 1982 के इस अधिनियम को 27 जनवरी, 2005 को उत्तराखंड राज्य द्वारा निरस्त कर दिया गया था।यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921, जिसे उत्तराखंड राज्य में भी लागू किया गया था, बाद में 22.04.2006 को उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 के लागू होने पर निरस्त कर दिया गया, जो 22.04.2006 को लागू हुआ।उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 40 में प्रावधान है कि 26.01.2005 से पहले अस्थायी पदोन्नति पर प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्त कार्यवाहक प्रधानाचार्य को एक महत्वपूर्ण क्षमता में नियुक्त किया जाएगा।

19. भले ही, यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 को 22.04.2006 को निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए विनियम लागू रहेंगे क्योंकि उक्त विनियम उत्तराखंड सरकार द्वारा निरस्त नहीं किए गए थे।

20. नतीजतन, यू. पी. माध्यमिक शिक्षा सेवा बोर्ड अधिनियम, 1982 के निरस्त होने पर प्रबंधन समिति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियां करने की शक्ति को पुनर्जीवित किया गया। इस प्रकार 27.01.2005 से प्रबंधन समिति को विनियम के तहत रिक्त पद पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त थी।

21. उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 22.04.2006 पर अस्तित्व में आया और उसी तिथि को यू. पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम को निरस्त कर दिया गया।उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम ने शुरुआत

में उत्तराखंड स्कूल शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 24 के तहत कोई विनियमन नहीं बनाया। अंततः, इसी को तैयार किया गया जो 10 जुलाई, 2009 से लागू हुआ।

22. परिणामस्वरूप, 27 जनवरी, 2005 और 10 जुलाई, 2009 की अवधि के बीच यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा 15 के तहत बनाए गए नियम लागू रहे और प्रबंधन समिति के पास सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने की शक्ति थी।याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 01 अप्रैल, 2007 को कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला। याचिकाकर्ता नंबर 2, 3 और 4 ने 01 जुलाई, 2005 को उस अवधि के दौरान कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला जब 1982 का अधिनियम निरस्त हो गया था और उसमें बनाए गए विनियम लागू थे।

23. अदालत ने प्रबंधन समिति की दलीलों से पाया कि जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 3 के शैक्षणिक संस्थान का संबंध है, संस्थान के प्रमुख के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए दिनांक 22.12.2006 को एक विज्ञापन जारी किया गया था। यह विज्ञापन शैक्षिक अधिकारियों द्वारा उचित अनुमोदन दिए जाने के बाद जारी किया गया था, लेकिन बाद में राज्य सरकार द्वारा 27 जून, 2007 को जारी एक आदेश के कारण पद को भरने के लिए आगे की कार्रवाई बाधित हो गई, जिसमें यह प्रावधान था कि सीधी भर्ती द्वारा कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। जब तक उत्तराखंड शिक्षा अधिनियम 2006 के तहत नियमावली नहीं बन जाती, तब तक सहायता प्राप्त संस्था बनाई जाएगी।जैसा कि हमने पहले कहा है, विनियम बाद में बनाए गए, जो 10 जुलाई, 2009 से लागू हुए, इसके बावजूद, राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.12.2009 को एक नया आदेश जारी किया गया, जिसमें प्रबंधन समिति को अगले आदेश तक नये नियमों के तहत पदस्थापन भरने के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया गया। राज्य के विद्वान अपर महाधिवक्ता ने माना है कि नियुक्तियों पर रोक अभी भी जारी है.

24. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने 01 अप्रैल, 2007 को कार्यभार संभाला और प्रतिबंध 27 जून, 2007 को अस्तित्व में आया। जहां तक याचिकाकर्ता संख्या 2 और 3 का संबंध है, उन्होंने 01 जुलाई 2005 को कार्यभार संभाला और उनकी नियुक्तियों को 29.12.2005 को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 22.04.2006 को निरस्त कर दिया गया और 27 जून 2007 को राज्य सरकार द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उपरोक्त के आलोक में, प्रतिवादियों ने प्रस्तुत किया कि एक बार 1982 का अधिनियम निरस्त हो जाने के बाद, प्रबंधन समिति को पद भरने के लिए कदम उठाना चाहिए था और, परिणामस्वरूप, राज्य सरकार प्रिंसिपल पद के याचिकाकर्ताओं को कोई भुगतान करने के लिए ज़िम्मेदार नहीं थी।

25. राज्य प्रतिवादी के विद्वान की दलील तर्कसंगत नहीं है। राज्य सरकार के मन में इस बात को लेकर भ्रम था कि क्या 22.04.2006 को यू.पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के निरस्त होने के बाद भी, यूपी इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के तहत बनाए गए नियम लागू रहेंगे या नहीं।राज्य सरकार की राय थी कि विनियम भी स्वचालित रूप से निरस्त हो गए हैं और इस कारण को 20 जून, 2007 के प्रतिबंध आदेश से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है, जिसके तहत राज्य सरकार ने प्रबंधन समिति को

उस समय तक रिक्ति पर कोई भी नियुक्ति करने से रोक दिया था जब  तक उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम की धारा 24 के तहत नियमावली नहीं बनाई गई।पूर्वोक्त के आलोक में, राज्य प्रतिवादी यह तर्क नहीं दे सकता कि 1982 के अधिनियम के निरसन के बाद और उसके बाद इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के निरसन के बाद, प्रबंधन समिति द्वारा नियुक्ति पर प्रतिबंध हटा दिया गया था और, तदनुसार, प्रबंधन समिति को रिक्ति को भरने के लिए कदम उठाना चाहिए था। अदालत की मत में, नियुक्तियां करने के लिए शैक्षणिक अधिकारियों के साथ-साथ प्रबंधन समिति को स्पष्ट निर्देश जारी नहीं करने में राज्य प्रतिवादी की ओर से पूरी तरह से निष्क्रियता थी।

26. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को कुछ समय तक सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति यू. पी. इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के तहत  बनाए गए विनियमों के अध्याय ॥ के विनियम 2 (1) के प्रावधान से की गई थी।प्रधानाचार्य की सेवानिवृत्ति के बाद एक महत्वपूर्ण रिक्ति हुई थी और इस पद को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना आवश्यक था।चूंकि संस्थान के प्रमुख के पद पर एक रिक्ति अस्तित्व में आई है, इसलिए उक्त पद को अस्थायी रूप से वरिष्ठतम योग्य शिक्षक की पदोन्नति के माध्यम से भरा गया था।याचिकाकर्ताओं को उनके संस्थानों में सबसे वरिष्ठ शिक्षक होने के नाते तदनुसार कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में प्रभार दिया गया था और इस संबंध में, प्रबंधन समिति के प्रस्ताव और याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया था कि मूल रिक्ति को सीधे भर्ती द्वारा भरा जाना चाहिए जैसा कि विनियम 2 (1) और विनियम 2 के विनियम 10 के द्वारा प्रदान किया गया है।लेकिन, कोई भी कदम उठाए जाने से पहले, राज्य सरकार ने 27 जून, 2007 को एक प्रतिबंध आदेश जारी किया, जिसमें प्रबंधन समिति को अपने संस्थान में किसी भी रिक्ति को भरने के लिए कोई भी कदम उठाने से रोक दिया गया।नियुक्तियों पर यह प्रतिबंध अभी भी जारी है।परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता क्रमांक 2, 3 और 4 अभी भी अपने संस्थानों में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में काम कर रहे हैं। याचिकाकर्ता क्रमांक 1 पहले ही सेवानिवृत्त हो चुका है।

27. विनियम 2 (1) अध्याय 2 के प्रावधान में विभिन्न स्थितियों की कल्पना की गई है जिसमें संस्थान के सबसे वरिष्ठ शिक्षक को प्राचार्य के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है।प्रावधान के तहत प्रयुक्त शब्द है "संस्था के प्रमुख का पद वरिष्ठतम योग्य शिक्षक की पदोन्नति से भरा जाएगा" जो इंगित करता है कि वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठतम शिक्षक सीढ़ी से ऊपर जाने का हकदार है।नियम वरिष्ठतम शिक्षक को प्रधानाचार्य का कार्य देखने की अनुमति नहीं देता, बल्कि पदोन्नति का प्रावधान करता है।इसलिए, यह स्वतः ही मान लिया जाता है कि पदोन्नत व्यक्ति प्रिंसिपल के पद के लाभों का हकदार है।विनियमों के अध्याय ॥ का नियम 2 (3) यह स्पष्ट करता है किजहां प्राचार्य की रिक्ति 30 दिन से अधिक न हो,  वहां सबसे वरिष्ठ शिक्षक को संस्थान के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में काम करने की अनुमति दी जा सकती है।उक्त विनियम में यह भी प्रावधान है कि जब उसे 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए संस्थान के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में काम करने की अनुमति दी जाती है तो वह प्रिंसिपल के पद पर वेतन का हकदार नहीं होगा।

28. विनियम 2 (1) के प्रावधान और विनियम 2 (3) को संयुक्त रूप से पढ़ने पर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है कि यदि प्रधानाचार्य के पद पर रिक्ति 30 दिनों से अधिक के लिए है, तो वरिष्ठतम शिक्षक पदोन्नति के हकदार होंगे और, परिणामस्वरूप, प्रिंसिपल के पद के सभी लाभों, अर्थात् प्रिंसिपल के पद का वेतन, का हकदार होगा।

29. **धनेश्वर सिंह चौहान बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूँ 1980 यू. पी. एल. बी. ई. सी 286** मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत एक शिक्षक प्रधानाचार्य के ग्रेड में वेतन प्राप्त करने का हकदार था जैसा कि शासनादेश दिनांक 18/01/1974 द्वारा प्रदान किया गया है। **नरबदेश्वर मिश्रा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया और अन्य 1982 यूपीएलबीईसी 171,** इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने कहा कि जहां संस्थान के प्रमुख के पद पर अस्थायी रिक्ति तीस दिनों से अधिक है, वहां सबसे वरिष्ठ शिक्षक को काम करने की अनुमति दी जाएगी और वे वेतन के हकदार होंगे। **सोलोमन मोरार झा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया और अन्य 1985 यूपीएलबीईसी 113** मामले में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा किविनियमों के अध्याय II के नियम 2 (1) का प्रावधान प्रिंसिपल ग्रेड के एक प्रवक्ता को उस अवधि के लिए वेतन के भुगतान पर रोक नहीं लगाता है, जिसके दौरान वह उस पद पर कार्य करता है। **श्रीमती राम रति बनाम यूपी राज्य शिक्षा सचिव, लखनऊ और अन्य 1987 यूपीएलबीईसी 1009** के माध्यम से, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने माना कि विनियमन 2 (1) के प्रावधान के तहत की गई पदोन्नति इंगित करती है कि पदोन्नत व्यक्ति पद के सभी लाभों का हकदार है और इसलिए प्राचार्य के ग्रेड में वेतन का हकदार है। **पुष्कर सिंह वर्मा बनाम जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ और अन्य 1999 (3) यू. पी. एल. बी. ई. सी. 1728** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि याचिकाकर्ता प्राचार्य के पद पर कार्य करने की अवधि के लिए प्राचार्य के वेतन का हकदार है।

30. उपरोक्त निर्णय याचिकाकर्ताओं के तर्क का समर्थन करते हैं।

31. उपरोक्त के आलोक में, **सुरेश चंद शर्मा के मामले** (उपरोक्त) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विनियमन 2 (1) के प्रावधान और नियम 2 (3) के प्रावधानों पर विचार किया और उसके बाद, एक निर्देश जारी किया कि चूंकि याचिकाकर्ता 30 दिनों से अधिक की रिक्ति पर कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया था, उत्तरदाताओं को निर्देश दिया गया था कि वे उक्त याचिकाकर्ता को उस तारीख से वेतन का भुगतान करें जब उन्होंने कॉलेज में प्राचार्य के रूप में कार्य करना शुरू किया था।विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त निर्णय की खंडपीठ ने विशेष अपील संख्या 45/2010 में अपने निर्णय दिनांक 15 अप्रैल, 2010 द्वारा पुष्टि की थी।खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले की पुष्टि करते हुए विनियम 2 (3) पर विचार किया और पाया कि चूंकि उक्त याचिकाकर्ता 30 दिनों से अधिक समय तक निर्बाध रूप से प्राचार्य के रूप में कार्य करता रहा, इसलिए वह प्राचार्य के पद पर वेतन का हकदार था जिस पर उसने 30 दिनों से अधिक समय तक निर्बाध रूप से सेवा प्रदान की थी।खण्ड पीठ ने कहा कि अगर ऐसा वेतन नहीं दिया जाता है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होगा।डिवीजन बेंच ने कहा कि एक कर्मचारी उस पद के वेतन का हकदार है जिस पर उसे सेवाएं प्रदान की थी ।

32. उपरोक्त के आलोक में, हमारी राय है कि विशेष अपील संख्या 45/2010 दिनांक 15 अप्रैल, 2010 में डिवीजन बेंच द्वारा दिया गया निर्णय विनियम 2 (1) और विनियम 2(3) में दिए गए प्रावधानों के अनुरूप था। हम उक्त निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं।

33. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ताओं को 30 दिनों से अधिक की रिक्ति पर नियुक्त किया गया था।जिला शिक्षा अधिकारी ने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दी।याचिकाकर्ता प्राचार्य के पद पर काम कर रहे हैं, जो 30 दिनों से अधिक हो गया है, और इसलिए वे उस पद पर वेतन के हकदार बन गए हैं जिस पर वे सेवाएं दे रहे थे।चूंकि प्रबंधन समिति द्वारा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्तियों पर एक सरकारी आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी, याचिकाकर्ताओं को प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी गई थी और परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता प्रधानाचार्य के पद पर वेतन प्राप्त करने के हकदार हैं।

34. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।राज्य के प्रतिवादियों को याचिकाकर्ताओं को प्रिंसिपल के पद का वेतन उस तारीख से भुगतान करने के लिए एक परमादेश जारी किया जाता है, जब याचिकाकर्ताओं ने संबंधित संस्थान में कार्यवाहक प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला था।इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को बकाया वेतन का भुगतान किया जाये. मामले की परिस्थितियों में, पक्षकार अपनी लागत स्वयं वहन करेंगे।

**(सुधांशु धूलिया, न्यायमूर्ति .) (बी. एस. वर्मा, न्यायमूर्ति ) (तरुण अग्रवाल, न्यायमूर्ति )**

तिथि 20 जून, 2012।